मध्यप्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

चतुर्दश विधान सभा त्रयोदश सत्र

फरवरी-मई, 2017 सत्र

बुधवार, दिनांक 1 मार्च, 2017

(10 फाल्गुन, शक संवत् 1938)

[खण्ड- 13] [अंक- 6]

मध्यप्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 1 मार्च, 2017

(10 फाल्गुन, शक संवत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.}

वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक का उपस्थापन

अध्यक्ष महोदय-- अब श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक का उपस्थापन करेंगे.

वित्त मंत्री (श्री जयंत मलैया) --

आर्थिक परिदृश्य

1. विश्व अर्थव्यवस्था, विशेषकर विश्व व्यापार की स्थिति, अब विकासशील देशों के लिये पूर्व की भांति अनुकूल नहीं रह गई है। अनेक विकसित देशों में संरक्षणवादी प्रवृत्तियां परिलक्षित हैं। विश्व व्यापार, जिसकी वृद्धि दर पहले से ही कमजोर हो चुकी है, इन संरक्षणवादी प्रवृत्तियों के कारण और अधिक प्रभावित हो सकता है। परिणामस्वरूप विकसित देशों में औद्योगिक उत्पादों के निर्यात पर आधारित विकास की रणनीति अब सामयिक नहीं रह गई है।

2. घरेलू बाजार में कुछ बड़े निवेशकर्ता कर्जदार बन गये हैं। एन.पी.ए. के कारण बैंकों की बैलेंसशीट खराब हुई है। नई परियोजनाओं में निजी निवेश की स्थिति उत्साहजनक नहीं है। इस परिदृश्य में आम आदमी की आमदनी बढ़ाकर औद्योगिक उत्पादों की मांग में वृद्धि करना तात्कालिक आवश्यकता है। इसी कारण कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में कृषि विकास की उच्च दर औद्योगिक उत्पादों की मांग में वृद्धि के लिये भी आवश्यक है।

3. वर्ष 2016–17 के लिये राज्य के जी.एस.डी.पी. के अग्रिम अनुमान तैयार कर लिये गये हैं। वर्ष 2016–17 में समग्र रूप से स्थिर मूल्यों पर जी.एस.डी.पी. में वृद्धि 12.21 प्रतिशत रहने का अनुमान है। स्थिर मूल्यों पर प्राथमिक क्षेत्र में 20.42 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है। विश्व व्यापार में कमजोरी के बावजूद मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में स्थिर मूल्यों पर 7.41 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। विश्व अर्थव्यवस्था की विषम स्थिति और निजी क्षेत्र के निवेश की अपेक्षा से कम होने के बावजूद लगातार दूसरे साल राष्ट्रीय विकास दर से आगे रहना माननीय मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छाशक्ति और विश्वास तथा टीम मध्यप्रदेश की मेहनत का परिणाम है।

पंछी ने जब–जब किया पंखों पर विश्वास,
दूर–दूर तक हो गया उसका ही आकाश।

(मेजों की थपथपाहट)

राजकोषीय रणनीति

4. अधोसंरचना में निवेश बढ़ाने के लिये राजकोषीय घाटे (उधार) की वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित पूर्ण सीमा 3.5 प्रतिशत का उपयोग वर्ष 2016–17 में करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया था। विद्युत वितरण कंपनियों के ऋण भार को कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा तैयार की गई "उदय योजना" अंतर्गत अतिरिक्त ऋण लेने के लिये भारत सरकार ने विशेष स्वीकृति जारी की है। इस विशेष अनुमति अनुसार बाजार से रूपये 7 हजार 361 करोड़ का ऋण लेकर विद्युत वितरण कंपनियों को रूपये 3 हजार 557 करोड़ की अंशपूंजी तथा रूपये 3 हजार 804 करोड़ का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। इसके लिये "मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005" में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित है।

5. राज्य शासन ने दीर्घकालीन परिसम्पत्तियों के सृजन पर अधिक ध्यान दिया है। यही कारण है कि वर्ष 2016–17 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार आयोजना अंतर्गत पूंजीगत मद में व्यय जी.एस.डी.पी. का **4.54** प्रतिशत रहेगा जो वर्ष 2015–16 में 3.14 प्रतिशत था। वर्ष 2016–17 के अंत में राज्य पर सकल ऋण का उसके जी.एस.डी.पी. से अनुपात 25 प्रतिशत से कम बना रहेगा जो अच्छे वित्तीय प्रबंधन की निशानी है। इस कारण वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार राज्य वर्ष 2017–18 में जी.एस.डी.पी. की 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त ऋण लेने हेतु पात्र रहेगा। इस तरह विकास के लिये बाजार से लिये जा रहे ऋण का सदुपयोग करने से राज्य पर सकल ऋण संवहनीय सीमा में है। अधोसंरचना में निवेश उच्च स्तर पर बनाये रखने के लिये वर्ष 2017–18 में भी वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित पूर्ण सीमा 3.5 प्रतिशत का उपयोग करना प्रस्तावित है। इसी के साथ शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों हेतु अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिये अनुत्पादक खर्चों का चिन्हांकन किया जायेगा तथा सब्सिडी आधारित योजनाओं की समीक्षा की जाएगी।

लेखांकन में परिवर्तन

6. वार्षिक वित्तीय विवरण अंतर्गत वर्ष 2017–18 से आयोजना एवं आयोजनेतर व्यय के मध्य विभेदीकरण समाप्त करने का केन्द्र सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा अनुरूप ही वर्ष 2017–18 के लिये प्रस्तुत किये जा रहे वार्षिक वित्तीय विवरण में इस विभेदीकरण को समाप्त कर विभिन्न मदों में व्यय के बजट अनुमानों का उल्लेख किया गया है। आयोजना एवं आयोजनेतर व्यय के मध्य कृत्रिम भेद को प्रमुखता देने के स्थान पर राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय के अंतर को प्रमुखता दी गई है।

सबका साथ सबका विकास

7. आयोजना तथा आयोजनेतर व्यय के विभेदीकरण की समाप्ति के फलस्वरूप आयोजना मद अंतर्गत अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति उपयोजनाओं का पृथक–पृथक निर्धारण भी वर्ष 2017–18 से समाप्त हो जाएगा। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति वर्गों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु कुल बजट प्रावधान में उनकी समुचित हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की दृष्टि से अनुसूचित जनजाति उपयोजना तथा अनुसूचित जाति उपयोजना अत्यंत उपयोगी साधन (instruments) रहे हैं। आयोजना तथा आयोजनेतर मद के विभेदीकरण की समाप्ति के पश्चात् भी यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है कि सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान की योजनाओं अंतर्गत प्रावधानित कुल बजट राशि में अनुसूचित जाति तथा जनजाति की न्यायोचित हिस्सेदारी बनी रहे। इसके लिये सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों की योजनाओं अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को लाभ पहुंचाने हेतु पृथक प्रावधान उपयोजना (सब स्कीम) के रूप में दर्शाया गया है। इससे इन वर्गो को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं पर व्यय की जाने वाली राशि की प्रभावी मानिटरिंग की जा सकेगी।

सिंचाई सुविधा

8. कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सिंचाई सुविधा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके कारण ही कृषि की मानसून पर निर्भरता कम होती है। **"मध्य प्रदेश दृष्टि–पत्र 2018"** में

राज्य की उच्च विकास दर में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की भूमिका को मान्य करते हुये बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में शासकीय सिंचाई योजनाओं से कम से कम 33 लाख हेक्टर कृषि भूमि की सिंचाई क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निश्चित किया गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को यह बताते हुए मुझे खुशी है कि इस लक्ष्य को हमने प्राप्त भी किया है। उपलब्ध जल का सिंचाई के लिये अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से सिंचाई परियोजनाओं के सैंच्य क्षेत्र में माईक्रोइरिगेशन पद्धति से खेतों में जल वितरण व्यवस्था विकसित करने की रणनीति दृष्टि–पत्र 2018 में अंगीकृत की गई थी। इसी के अनुरूप निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित परियोजनाओं में जल वितरण व्यवस्था विकसित करने के प्रावधान हैं।

9. शासकीय सिंचाई परियोजनाओं अंतर्गत वर्ष 2016–17 में पूंजीगत व्यय रूपये 8 हजार 613 करोड़ होने का पुनरीक्षित अनुमान है जो वर्ष 2015–16 के व्यय रूपये 6 हजार 607 करोड़ से लगभग 30 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2017–18 के लिये सिंचाई परियोजनाओं हेतु पूंजीगत मद में कुल बजट प्रावधान रूपये 9 हजार 850 करोड़ है जो कि वर्ष 2016–17 पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में रूपये 1 हजार 237 करोड़ अधिक है। यह वृद्धि सिंचाई सुविधा विस्तार को राज्य सरकार द्वारा दी जा रही उच्च प्राथमिकता का परिचायक है। सिंचाई परियोजनाओं में निवेश को आगामी वर्षों में भी उच्च स्तर पर बनाये रखा जाएगा।

वृहद परियोजनाएं

10. वित्तीय वर्ष 2016–17 में रामनगर, जिला सतना तथा नई गढ़ी, जिला रीवा वृहद परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है तथा इनका निर्माण प्रारंभ करने हेतु टेंडर की प्रकिया प्रचलित है। दोनों वृहद परियोजनाओं की रूपांकित सिंचाई क्षमता 70 हजार हेक्टर है। बीना वृहद परियोजना के लिये वन भूमि डायवर्शन की अनुमति प्राप्त हो चुकी है तथा इसका निर्माण शीघ्र प्रारंभ किये जाने का प्रयास है।

11. वर्ष 2017–18 में तीन वृहद परियोजनाओं क्रमशः शामगढ़–सुआसरा, कोठा बराज तथा लोअर–ओर का कार्य प्रारंभ करना प्रस्तावित है। केन बेतवा लिंक बहुउद्देशीय परियोजना के लिये वन संरक्षण अधिनियम तथा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अंतर्गत

अनुमतियां प्राप्त हो गई हैं तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अंतर्गत अनुमति शीघ्र प्राप्त होने की आशा है। तीन अन्य वृहद परियोजनाओं का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।

12. ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर तथा बरगी परियोजनाओं से सिंचित क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही है। बरगी नहर आधुनिकीकरण योजना अंतर्गत सुरंग निर्माण का कार्य तकनीकी कठिनाईयों के बावजूद प्रगति पर है। लोअर गोई तथा हालोन परियोजनाओं का निर्माण तीव्र गति से प्रगति पर है।

13. वर्ष 2016–17 में अलीराजपुर उद्वहन सिंचाई परियोजना, छैःगांव उद्वहन सिंचाई परियोजना तथा बिष्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना का निर्माण प्रारंभ किया गया है जिनके वर्ष 2017–18 में गति पकड़ने की आशा है। नर्मदा–मालवा–गंभीर लिंक उद्वहन सिंचाई परियोजना के निर्माण में वर्ष 2016–17 ने गति पकड़ी है तथा इसके वर्ष 2018–19 तक पूर्ण होने की आशा है।

14. जावर उद्वहन सिंचाई परियोजना तथा भीकनगांव– बिन्जलवाड़ा उद्वहन सिंचाई परियोजना का निर्माण वर्ष 2017–18 में प्रारंभ करना प्रस्तावित है, जिनसे क्रमशः लगभग दो लाख हेक्टर तथा पचास हजार हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

मध्यम परियोजनाएं

15. वर्ष 2016–17 में महुअर तथा कुशलपुरा मध्यम परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं तथा बघरू परियोजना मार्च 2017 तक पूर्ण होने की आशा है। वर्ष 2016–17 में स्वीकृत दस मध्यम परियोजनाओं में से तीन में निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है तथा सात अन्य मध्यम परियोजनाओं के लिये नियामक स्वीकृतियां प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलित हैं। ग्यारह मध्यम परियोजनाओं का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।

लघु परियोजनाएं

16. वर्ष 2018 तक 700 लघु सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य दृष्टि–पत्र 2018 में निर्धारित किया गया था। अब तक 646 लघु सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण की गई हैं।

वर्ष 2016–17 में 30 परियोजनाएं मार्च, 2017 तक पूर्ण होने की आशा है। इस तरह दृष्टि–पत्र में निर्धारित लक्ष्य से अधिक की उपलब्धि वर्ष 2018 तक प्राप्त हो जायेगी। वित्तीय वर्ष 2016–17 में पूर्ण होने वाली लघु सिंचाई परियोजनाओं से लगभग 47 हजार हेक्टर सिंचाई क्षमता निर्मित होगी। पच्चीस नवीन लघु सिंचाई परियोजनाएं बजट में प्रस्तावित हैं।

कृषि और सम्बद्ध किया कलाप

17. '' राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना'' की कमियों को दूर कर प्रारंभ की गई ''प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना'' राज्य के किसानों में अत्यंत लोकप्रिय रही है। अऋणी कृषकों को बीमा से जोड़ने के राज्य शासन के विशेष प्रयासों में सफलता मिली है और पिछले वर्ष के 27 हजार की तुलना में इस वर्ष लगभग 7 लाख अऋणी कृषकों को बीमा से जोड़ा गया है। आगामी वर्ष में इस योजना अंतर्गत बीमित क्षेत्र बढ़ने की आशा है। इस हेतु रूपये 2 हजार करोड़ का बजट प्रावधान है। .

18. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु रूपये 400 करोड़ तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन हेतु रूपये 305 करोड़ का बजट प्रावधान है। कृषि में यंत्रीकरण को प्रोत्साहित करने की रणनीति का उल्लेख **''मध्य प्रदेश दृष्टि–पत्र 2018''** में है। ''कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन योजना'' अंतर्गत रूपये 40 करोड़, ''ट्रेक्टर एवं कृषि उपकरणों पर अनुदान'' अन्तर्गत रूपये 46 करोड़ तथा कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना पर अनुदान'' अन्तर्गत रूपये 14 करोड़ का बजट प्रावधान है।

उद्यानिकी

19. प्रदेश में उद्यानिकी फसलों के क्षेत्राच्छादन में लगातार वृद्धि हो रही है। परम्परागत खाद्यान्न फसलों की तुलना में उद्यानिकी फसलों से किसानों को अधिक आमदनी प्राप्त होती है परन्तु इन फसलों के लिये समुचित भंडारण एवं वितरण की व्यवस्था भी आवश्यक होती है। इसी परिप्रेक्ष्य में दृष्टि–पत्र 2018 में ''उच्च मूल्य की उद्यानिकी फसलों यथा फल, सब्जियां और मसालों की पैदावार वृद्धि पर विशेष जोर देने का उल्लेख किया गया था।'' हब एंड क्लस्टर पद्धति और समेकित उद्यानिकी गलियारों के विकास के माध्यम से

प्रभावशाली पिछली और अगली कड़ियों का विकास करने की रणनीति बताई गई थी। इसी रणनीति के अनुसार इस क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने के लिये राज्य शासन ने अपनी निवेश प्रोत्साहन योजना में आवश्यक संशोधन किये हैं तथा क्षेत्र विस्तार भी क्लस्टर के आधार पर प्रोत्साहित किये जा रहे हैं।

20. उद्यानिकी उत्पादों की बेहतर विपणन व्यवस्था हेतु निजी क्षेत्र में शीतगृहों की क्षमता 9.50 लाख टन से बढ़ाकर 15 लाख टन करने हेतु तथा प्याज भण्डारण क्षमता 80 हजार टन से बढ़ाकर 5 लाख टन करने की घोषणा मैंने अपने पिछले बजट भाषण में की थी। मुझे यह बताते हुये प्रसन्नता है कि वर्ष 2016–17 में अभी तक कुल 3 लाख 50 हजार टन क्षमता के शीतगृह निर्माण हेतु 70 आवेदन प्राप्त हुये जिनकी स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है। प्याज भण्डारण हेतु 3 लाख 50 हजार टन क्षमता के आशय पत्र जारी किये जा चुके हैं। इस हेतु रूपये 50 करोड़ का बजट प्रावधान है।

21. उद्यानिकी क्षेत्र की योजनाओं के लिये रूपये 765.78 करोड़ का कुल बजट प्रावधान है। उद्याानिकी फसलों के विस्तार तथा उत्पादकता वृद्धि हेतु ''माईक्रोइरिगेशन योजना'' अंतर्गत रूपये 140 करोड़ का बजट प्रावधान है। ''राष्ट्रीय कृषि विकास योजना'' अन्तर्गत रूपये 92 करोड़, ''राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन'' अन्तर्गत रूपये 62 करोड़ तथा ''फसल बीमा'' अन्तर्गत रूपये 50 करोड़ का प्रावधान है।

पशुपालन

22. वर्ष 2016–17 में प्रदेश में 198 नई दुग्ध समितियों का गठन किया गया है। सागर शिवपुरी तथा कीरतपुर में पशु आहार संयत्र की स्थापना की गई है। माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री जी द्वारा अपने बजट भाषण में दुग्ध प्रसंस्करण इकाईयों के वित्त पोषण हेतु एक पृथक कोष स्थापित करने की घोषणा की है। इसका लाभ लेते हुये प्रदेश में नये क्षेत्रों में दुग्ध प्रसंस्करण इकाईयां स्थापित की जाएंगी तथा वर्तमान में स्थापित इकाईयों की क्षमता में विस्तार किया जाएगा। पशुपालन विभाग की योजनाओं हेतु रूपये 1001 करोड़ का बजट प्रावधान है।

मछली पालन

23. मत्स्य कृषकों को प्रशिक्षण एवं फिश–फीड आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने के फलस्वरूप प्रदेश में मत्स्य पालन विगत वर्ष की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। मत्स्य पालन की गतिविधियों के लिये रूपये 91 करोड़ का प्रावधान है।

वन विभाग

24. मध्य प्रदेश वन सम्पदा तथा वन्य जीवों की दृष्टि से अत्यंत सम्पन्न है। इस सम्पदा का समुचित संरक्षण हमारी प्राथमिकता है। वनों के समुचित प्रबंधन हेतु "कार्य आयोजनाओं के क्रियान्वयन" के लिये रूपये 373 करोड़ का बजट प्रावधान है। टाईगर रिजर्व में संरक्षित क्षेत्रों के भीतर स्थित गांवों के पुनर्स्थापन अन्तर्गत "वन्य जीव पर्यावास का समन्वित विकास" हेतु रूपये 296 करोड़ तथा राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित "संरक्षित क्षेत्रों के भीतर ग्रामों के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास हेतु मुआवजा" अन्तर्गत रूपये 108 करोड़ के बजट प्रावधान हैं। वन विभाग की योजनाओं के लिये समग्र रूप से बजट प्रावधान रूपये 2 हजार 704 करोड़ है।

नमामि देवी नर्मदे (मेजों की थपथपाहट)

25. नर्मदा नदी प्रदेश की जीवन रेखा है। नर्मदा नदी के संरक्षण हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक जन अभियान प्रारंभ किया गया है। नदी के तट पर पूजन–हवन सामग्री के विसर्जन के लिये पृथक कुण्ड बनाये जा रहे हैं। नर्मदा नदी के संरक्षण हेतु इससे लगी हुई भूमि पर वृक्षारोपण किया जाएगा। वन भूमि पर वृक्षारोपण हेतु रूपये 15 करोड़, कृषि वानिकी के लिये रूपये 37 करोड़ तथा फलदार वृक्षारोपण हेतु रूपये 50 करोड़ का बजट प्रावधान है। नदी में प्रदूषित जल को मिलने से रोकने के लिये नदी तट पर स्थित कस्बों में मल–जल शोधन संयत्र स्थापित करने हेतु पृथक से प्रावधान किये गये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नर्मदा सेवा यात्रा शासन की प्राथमिकता है और हम जितने भी बजट की,पैसे की आवश्यकता होगी उतनी राशि इसके लिए उपलब्ध कराएंगे.(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा हर- हर नर्मदे का उद्घोष किया गया)

लोक स्वास्थ्य

स्वच्छ पेयजल तथा परिवेश

26. प्रदेश के अनेक हिस्सों में घटते भूमिगत जल स्तर को देखते हुये राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि हैंडपम्पों पर निर्भरता को कम किया जाय तथा सतही जल को नल–जल योजनाओं के माध्यम से पेयजल का साधन बनाया जाये। इस दिशा में एक हजार से अधिक आबादी की सभी बस्तियों में नल–जल सुविधा उपलब्ध कराने का सरकार का संकल्प है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस हेतु तात्कालिक पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये हैंडपम्पों हेतु एक नवीन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके लिये रूपये 900 करोड़ का प्रावधान है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की योजनाओं हेतु पूंजीगत मद अंतर्गत प्रावधान रूपये 2 हजार 493 करोड़ है, जो वर्ष 2016–17 के पुनरीक्षित अनुमान से 90 प्रतिशत अधिक है। उपर्युक्त प्रावधान में समूह नल–जल योजनाओं के लिये रूपये 552 करोड़ का प्रावधान भी सम्मिलित है।

27. नगरीय निकायों की पेयजल परियोजनाओं के कियान्वयन के लिये विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बजट प्रावधान किये गये हैं। नगरीय क्षेंत्रों हेतु ''मुख्यमंत्री पेयजल कार्यक्रम'' अंतर्गत रूपये 200 करोड़ तथा ''इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलमेन्ट स्कीम फॉर स्मॉल एण्ड मीडियम टाउन्स'' योजना अंतर्गत रूपये 170 करोड़, का प्रावधान है।

28. निर्मल भारत मिशन अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लिये निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वर्ष 2017–18 में लगभग 23 लाख पारिवारिक शौचालयों, लगभग 1 हजार सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण तथा 3 हजार ग्राम पंचायतों में ठोस तरल एवं अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य किये जाने का लक्ष्य है। इस हेतु वर्ष 2017–18 में रूपये 1 हजार 750 करोड़ का प्रावधान है।

29. नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत कुल 3 लाख से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। नगरीय क्षेत्रों में पारिवारिक शौचालय तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण के लिये स्वच्छ भारत अभियान अन्तर्गत रूपये 600 करोड़ का प्रावधान है।

30. नगरीय क्षेत्रों में कचरा एवं अन्य ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन नगरीय स्वच्छता का एक महत्वपूर्ण आयाम है। राज्य शासन ने इस क्षेत्र में अभिनव पहल कर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जन निजी भागीदारी के माध्यम से क्लस्टर आधारित प्रसंस्करण इकाईयां स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस हेतु सभी नगरीय निकायों के लिये जन निजी भागीदारी से निवेशकर्ता मार्च–2017 तक नियुक्त किये जाने का लक्ष्य है जिससे आगामी वर्ष 2018 तक समस्त नगरीय निकायों में क्लस्टर आधार पर प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना हो सकेंगी। नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छ जल आपूर्ति तथा मलजल निकासी की योजनाओं के कियान्वयन हेतु विश्व बैंक तथा एं.डी.बी. की सहायता से कियान्वित परियोजनाओं के लिये कमशः रूपये 160 करोड़ तथा रूपये 500 करोड़ का प्रावधान है।

31. ''अमृत'' योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में नल जल कनेक्शन, स्वच्छ पेयजल, आपूर्ति, सीवरेज कनेक्शन एवं हरित क्षेत्र उपलब्ध कराना है। प्रदेश के एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले एवं कुछ धार्मिक, पर्यटन महत्व के 34 शहरों का चयन इस योजना अंतर्गत किया गया है। ''अमृत'' योजना अन्तर्गत वर्ष 2017–18 के लिये रूपये 700 करोड़ का प्रावधान है।

32. वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर प्रदेश में 3 हजार 500 अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता आक्कलित की गई थी जिसके विरूद्ध वर्ष 2015–16 में 500 केन्द्र तथा वर्ष 2016–17 में 3 हजार इस प्रकार कुल आवश्यक साढ़े तीन हजार नवीन केन्द्र प्रारंभ किये जा चुके हैं।

33. प्रदेश में लगभग 95 हजार आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं जिनके माध्यम से लगभग 64 लाख बच्चों एवं 7 लाख 41 हजार गर्भवती/धात्री महिलाओं को पोषण आहार एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इस हेतु रूपये 2 हजार 918 करोड़ का बजट प्रावधान है जिसमें से रूपये 90 करोड़ की राशि एक हजार आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण के लिये है।

34. गंभीर कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किये गये पोषण पुनर्वास केन्द्रों के अच्छे परिणाम मिले हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए आदिवासी बाहुल्य विकास खण्डों में 6 नवीन पोषण पुनर्वास केन्द्र स्थापित किये जाएंगे तथा 24 पोषण

पुनर्वास केन्द्र में बिस्तर संख्या में वृद्धि की जाएगी। शिशु आपातकालीन सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिये समस्त जिला चिकित्सालय में शिशु आपातकालीन सेवाएं प्रदाय करने की सुविधा स्थापित की जा रही है।

चिकित्सा सेवाएं

35. चिकित्सा सुविधाओं का निरन्तर उन्नयन, प्रशिक्षित मानव संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि तथा उनके लिये प्रेरणा और प्रतिबद्धता की उच्च स्तर की प्राप्ति, सभी के लिये स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्यों को रणनीति के रूप में दृष्टि–पत्र 2018 में अंगीकृत किये गये थे। इसी रणनीति के अनुरूप चिकित्सा सेवाओं से संबंधित योजनाओं के अंतर्गत बजट प्रावधान किये गये हैं। शहरी क्षेत्र के 11 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 27 उप स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रूप में प्रस्तावित है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देवसर, जिला सिंगरौली, सतवास जिला देवास तथा हस्तिनापुर जिला ग्वालियर का उन्नयन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में प्रस्तावित है।

36. राज्य शासन की पहल के कारण सभी जिला अस्पतालों में डायलिसिस तथा कीमोथैरिपी की सुविधा प्रारंभ की जा चुकी है। कैट स्केन तथा एम.आर.आई. की सुविधा उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रदेश के समस्त जिला चिकित्सालयों में ट्रामा सेन्टर हेतु आवश्यक अधोसरंचना का विकास किया जा चुका है। इन केन्द्रों के संचालन हेतु आवश्यक पदों की स्वीकृति प्रस्तावित है। जिला चिकित्सालय मुरैना, श्योपुर तथा इन्दौर की क्षमता का विस्तार प्रस्तावित है।

37. ग्रामीण तथा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के स्वीकृत पदों में रिक्तता इन क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के प्रयासों में एक बाधा बनी हुई है। इसका एक कारण प्रदेश में प्रतिवर्ष पर्याप्त संख्या में एम.बी.बी.एस. शिक्षा प्राप्त चिकित्सकों एवं स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा प्राप्त विशेषज्ञों की आपूर्ति न होना है। इस आपूर्ति में गुणात्मक वृद्धि के लिये सात नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। इनके भवन निर्माण हेतु रूपये 590 करोड़ का बजट प्रावधान है। इसके अतिरिक्त पूर्व से संचालित चिकित्सा

महाविद्यालयों में सीटें बढ़ाई जा रही है। इस वृद्धि हेतु अधोसंरचना निर्माण के लिये रूपये 115 करोड़ का प्रावधान है।

38. ग्रामीण, विशेषकर आदिवासी बाहुल्य क्षेंत्रों में संचालित स्वास्थ्य केन्द्रो में चिकित्सकों के पदों की रिक्तता का दूसरा कारण यह है कि उच्च व्यावसायिक शिक्षा वाले चिकित्सकों की यह धारणा है कि इन क्षेत्रों में स्थित स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध अधोसंरचना तथा अन्य परिस्थितियां अपनी व्यावसायिक दक्षता का पूर्ण उपयोग करने तथा इस दक्षता में वृद्धि करने का समुचित अवसर नहीं प्रदान करती हैं। इन क्षेत्रों में चिकित्सकों को सेवाएं देने के लिये आकर्षित करने के लिये ''व्यावसायिक दक्षता अवरोध क्षतिपूरक भत्ता'' देना प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थ चिकित्सकों को यह भत्ता उनके वेतन तथा महंगाई भत्ते की कुल राशि पर 20 प्रतिशत की दर से तथा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में 25 प्रतिशत की दर से देना प्रस्तावित है। छोटे कस्बों में स्थित तीस बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये स्वीकृत चिकित्सा विशेषज्ञों के पदों पर पदस्थापना आकर्षक बनाये जाने के लिये इन पदों पर नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों को अधिसूचित क्षेत्रों में 25 प्रतिशत की दर से तथा अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 20 प्रतिशत की दर से क्षतिपूरक भत्ता देना प्रस्तावित है।

39. शासकीय चिकित्सालयों में शल्य चिकित्सा के लिये उपलब्ध अधोसंरचना का कुछ केन्द्रों पर पूर्ण उपयोग आवश्यक विशेषज्ञों के पद रिक्त होने से नहीं हो पा रहा है। परिणामस्वरूप स्थानीय नागरिकों को यह सुविधा निजी अस्पतालों अथवा दूरस्थ अस्पतालों में प्राप्त करना पड़ती है। राज्य सरकार द्वारा यह नीतिगत निर्णय लिया गया है कि ऐसे चिकित्सा केन्द्रों में शल्यक्रिया के लिये उपलब्ध अधोसरंचना का सीमित उपयोग निजी चिकित्सकों तथा अन्य शासकीय चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सकों को करने की विशेष सुविधा दी जाये। इससे इस प्रकार की जटिल शल्य क्रिया निजी महंगे अस्पतालों में अथवा दूरस्थ शासकीय अस्पतालों में प्राप्त करने की परेशानी से स्थानीय नागरिकों को राहत मिलेगी।

40. लोक स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवा क्षेत्र के अंतर्गत स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छ परिवेश से संबंधित योजनाओं के लिये रूपये 7 हजार 420 करोड़ तथा चिकित्सा शिक्षा एवं

स्वास्थ्य सेवा से संबंधित योजनाओं के लिये रूपये 7 हजार 472 करोड़ बजट प्रावधान है, इसमें से रूपये 3 हजार 688 करोड़ अधोसंरचना निर्माण हेतु पूंजीगत मद में है। इन क्षेत्रों की योजनाओं हेतु बजट प्रावधान जी.एस.डी.पी. का 2 प्रतिशत है।

शिक्षा

प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा

41. शिक्षा के विस्तार एवं उसके स्तर में गुणात्मक सुधार हेतु राज्य शासन सतत् प्रयासरत है। शालाओं में अध्यापकों के लगभग 36 हजार रिक्त पदों की पूर्ति हेतु भर्ती की कार्यवाही प्रारंभ की गई है। प्राथमिक शिक्षा अभियान के लिये रूपये 3 हजार 400 करोड़ तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिये रूपये 646 करोड़ का बजट प्रावधान है। राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि मिडिल स्कूलों में बच्चों के बैठने हेतु बैंच की व्यवस्था हो। इस हेतु 2017–18 में रूपये 30 करोड़ का प्रावधान है। शाला भवनों के अनुरक्षण मद में रूपये 45 करोड़, हाई स्कूल तथा हायर सेकेण्ड्री स्कूलों की प्रयोगशाला के उपकरण के लिये रूपये 27 करोड़ तथा विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिये रूपये 35 करोड़ का बजट प्रावधान है।

42. विगत कुछ वर्षों से शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ने तथा प्रारंभिक शिक्षा अभियान के सफल कियान्वयन के कारण हाईस्कूल और हायर सेकेण्ड्री स्कूलों की मांग काफी बढ़ी है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत बढ़ी संख्या में हाई स्कूलों में उन्नयन के बावजूद अभी भी काफी मांग आ रही है। इस कारण वर्ष 2017–18 में 520 हाईस्कूल तथा 240 हायर सेकेंडरी स्कूलों का उन्नयन प्रस्तावित है। आदिवासी छात्रों के लिये दो नवीन शासकीय गुरूकुलम आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। हाई स्कूल तथा हायर सेकेण्ड्री स्कूलों के भवन निर्माण हेतु स्कूल शिक्षा विभाग की मांग संख्या अंतर्गत रूपये 214 करोड़ तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग की मांग संख्या अंतर्गत रूपये 189 करोड़ का प्रावधान है।

43. अनुसूचित जनजाति वर्ग के आश्रम तथा छात्रावासों के सुदृढ़ीकरण के लिये राशि रूपये 50 करोड़ रखी गई है। इस वर्ग के छात्रों के लिये 30 नवीन छात्रावास प्रस्तावित हैं।

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिये छात्रावास निर्माण हेतु रूपये 15 करोड़, तथा अनसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये छात्रावास एवं आश्रम भवन निर्माण हेतु रूपये 101 करोड़ का प्रावधान है।

44. अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति तथा शिष्यवृत्ति मद में रूपये 703 करोड़, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये रूपये 784 करोड़ तथा पिछड़ा वर्ग के विद्याार्थियों के लिये रूपये 850 करोड़ का प्रावधान हैं। सामान्य वर्ग के निर्धन विद्यार्थियों के लिये 32 करोड़ तथा घुमक्कड़, अर्द्धघुमक्कड़ जाति के लिये छात्रवृत्ति मद में रूपये 10 करोड़ का प्रावधान है।

45. जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों में संबंधित जिले के चयनित मेधावी छात्र–छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है। ग्रामीण अंचल के मेधावी छात्रों के लिये रहने की समुचित व्यवस्था न होने से उन्हें अध्ययन में कठिनाई होती है। उत्कृष्ट विद्यालयों में आवश्यकता अनुसार आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात दृष्टि–पत्र 2018 में कही गई है। इसी के अनुरूप अधोसंरचना तथा इन संस्थाओं में अध्ययन हेतु बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने के लिये उसी परिसर में छात्रावास निर्माण हेतु रूपये 52 करोड़ का प्रावधान है। छात्रावास निर्माण पूर्ण होने तक किराए के भवन में छात्रावास संचालन हेतु पृथक से प्रावधान प्रस्तावित है।

46. प्रदेश के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में असुविधा न हो इसके लिये आगामी सत्र से कक्षा–1 से 7 के लिये गणित, पर्यावरण अध्ययन एवं विज्ञान विषयों तथा कक्षा 9 व 11 के लिये विज्ञान, गणित एवं वाणिज्यिक विषयों की एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्य पुस्तकें लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिये रूपये 92 करोड़ का बजट प्रावधान है।

कन्या शिक्षा

47. कन्या शिक्षा को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने के लिये अनुसूचित जनजाति वर्ग की कक्षा 11 में प्रवेशित ऐसी बालिकाएं, जिन्हें स्थानीय होने के कारण कक्षा 9 में साइकिल नहीं मिली थी तथा जो कक्षा 11 वीं में निवास ग्राम से बाहर की उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में

प्रवेश लेकर अध्ययन कर रही हैं, उन्हें नवीन साईकिल उपलब्ध कराई जाएगी। शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े 201 विकासखण्डों में कन्या छात्रावास भवनों के संचालन, सुरक्षा व्यवस्था तथा मेस संचालन के लिये रूपये 48 करोड़ का प्रावधान है।

उच्च शिक्षा

48. विश्व बैंक की सहायता से कियान्वित "एम.पी. ऐजुकेशन क्वालिटी इम्प्रुव्हमेंट प्रोजेक्ट" अंतर्गत उच्च शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्टता संस्थानों की स्थापना, महाविद्यालयों के भवन एवं छात्रावास के निर्माण हेतु रूपये 200 करोड़ का प्रावधान है। "राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान" के लिये रूपये 215 करोड़ का बजट प्रावधान है। उच्च शिक्षा विभाग की योजनाओं के लिये कुल रूपये 2 हजार 293 करोड़ का बजट प्रावधान है।

तकनीकी शिक्षा

49. एशियन डेव्हलपमेंट बैंक की सहायता से प्रदेश में कौशल संवर्धन एवं उन्नयन हेतु "एम.पी. स्किल एजुकेशन एण्ड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट" का कियान्वयन प्रस्तावित है। इस परियोजना के अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कौशल संस्थान की स्थापना भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त उत्कृष्ट संस्थाओं के रूप में 10 आई.टी.आई. विकसित किये जाएंगें। परियोजना के लिये रूपये 100 करोड़ का बजट प्रावधान है।

कौशल संवर्धन

50. प्रदेश की विशाल युवाशक्ति हमारे भविष्य के विकास की कुंजी है। इस युवा शक्ति को कौशल संवर्द्धन के जरिये यदि सशक्त बनाया गया तो प्रदेश की विकास दर को नई ऊंचाईयों पर ले जाना आसान हो जाएगा। इसलिये कौशल विकास मिशन, मुख्यमंत्री कौशल संवर्द्धन योजना और कौशल्या योजना के जरिये प्रति वर्ष साढ़े सात लाख युवाओं का कौशल संवर्द्धन करने और उन्हें रोजगार अथवा स्व–रोजगार में स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना पर राज्य सरकार कार्य कर रही है। यह वृहत् लक्ष्य कठिन प्रतीत होता है, परन्तु :–

जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का,

फिर देखना फिजूल है, कद आसमान का।

तकनीकी शिक्षा विभाग की योजनाओं के लिये कुल रूपये 1 हजार 693 करोड़ का प्रावधान है।

''मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना''

अध्यक्ष महोदय, यह हमारे मुख्यमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इसका मैं यहां पर उल्लेख कर रहा हूं. (मेजों की थपथपाहट)...

51. प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मान स्वरूप उच्च शिक्षा के लिये वित्तीय सहायता दिये जाने हेतु ''मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना'' आगामी वित्तीय वर्ष से प्रारंभ की जाएगी और इसके लिये रूपये 1 हजार करोड़ की राशि का पृथक कोष स्थापित किया जाएगा। इस कोष हेतु रूपये 500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित बारहवीं की परीक्षा में न्यूनतम 85 प्रतिशत अंक लाने वाले छात्र इस योजना के लिये पात्र होंगें। राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित संस्थाओं तथा राज्य सरकार से वित्त पोषित संस्थाओं में प्रवेश लेने पर शिक्षण शुल्क की पूरी राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी। अन्य संस्थाओं में प्रवेश लेने पर सहायता राशि अधिकतम रूपये एक लाख प्रतिवर्ष होगी। निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में फीस नियामक आयोग द्वारा निश्चित की गई शिक्षण शुल्क की राशि की प्रतिपूर्ति हेतु छात्रों को राज्य शासन के पक्ष में एक बाण्ड भरकर देना होगा कि वे एम.बी.बी.एस. की पढ़ाई के पश्चात् तीन वर्ष के लिये अपनी सेवाएं ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में देंगे। मध्यप्रदेश शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित बारहवीं की परीक्षा में 85 प्रतिशत से कम अंक पाने वाले छात्र भी यदि राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित संस्थाओं में प्रवेश लेंगे, तो उन्हें शिक्षण शुल्क के बराबर राशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दी जाएगी।

52. शिक्षा क्षेत्र से संबंद्ध विभागों के लिये कुल बजट प्रावधान रूपये 29 हजार 665 करोड़ है, जिसमें से रूपये 2 हजार 162 करोड़ अधोसंरचना निर्माण हेतु पूंजीगत मद में है। वर्ष 2017–18 के लिये इन विभागों का कुल बजट आवंटन जी.एस.डी.पी. का 4.03 प्रतिशत है। आगामी वर्षों में इसे बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने का प्रयास होगा।

सड़क परिवहन

53. विगत वर्षों में सड़क के क्षेत्र में प्रांतीय राज्यमार्गों और ग्रामीण सड़कों के जुड़ाव की उपलब्धि राज्य के लिये गौरव का विषय है। सभी गांवों को जोड़ना प्राथमिकता के रूप में दृष्टि–पत्र 2018 में चिन्हित की गई है। प्रांतीय राज्यमार्गों व जिला सड़कों का विश्व मापदण्डों के अनुरूप विकास एवं गुणवत्ता सुधार एक महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में निश्चित किये गये हैं। इसी के अनुरूप वर्ष 2016–17 में लोक निर्माण विभाग द्वारा 3 हजार 877 किलोमीटर सड़कों का निर्माण तथा 101 वृहद पुलों का निर्माण किया गया है। मुख्य जिला मार्गों के सुदृढ़ीकरण एवं सुधार हेतु ए.डी.बी. से तथा न्यू डेव्हलपमेंट बैंक से रूपये 6 हजार करोड़ लागत की परियोजनाएं स्वीकृत कराई गईं हैं। इनसे लगभग 3 हजार किलोमीटर मुख्य जिला मार्गों के सुदृढ़ीकरण एवं सुधार तथा नये जिला मार्गों के निर्माण का कार्य कराया जाएगा। लोक निर्माण विभाग अंतर्गत सड़क निर्माण एवं संधारण के लिये वर्ष 2017–18 में पूंजीगत मद में कुल रूपये 5 हजार 966 करोड़ का तथा संधारण हेतु राजस्व मद में रूपये 1 हजार 418 करोड़ का बजट प्रावधान है।

54 गांवों को कस्बों से जोड़ने वाली ग्रामीण सड़कें कृषि उत्पादों के लिये बाजार तथा ग्रामीणों को सुविधायुक्त चिकित्सालयों की सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। इसलिये राज्य सरकार ने यह संकल्प लिया है कि प्रत्येक गांव को बारहमासी सड़क से जोड़ा जाये।

55. विगत दो वर्षों से प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं, जिससे सड़क निर्माण में तेजी आई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रथम चरण के शेष कार्य के अंतर्गत 2017–18 मे लगभग पांच हजार किलोमीटर सड़कों के निर्माण कार्य एवं द्वितीय चरण के अंतर्गत 5 हजार किलोमीटर मार्गों का उन्नयन किया जाना है। इस हेतु वर्ष 2017–18 में रूपये 2 हजार 850 करोड़ का प्रावधान है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों के नवीनीकरण एवं उन्नयन हेतु पृथक से रूपये 622 करोड़ का प्रावधान है।

56. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में विश्व बैंक एवं एशियन इन्फास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट बैंक की सहायता से 10 हजार किलो मीटर सड़कों का उन्नयन किया जाना है। प्रोजेक्ट की कुल लागत रूपये 3 हजार करोड़ अनुमानित है। इसके लिये वर्ष 2017–18 में रूपये

200 करोड़ का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त "मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना" अंतर्गत रूपये 400 करोड़ तथा "राज्य ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी" अन्तर्गत रूपये 186 करोड़ का प्रावधान है।

बिजली

57. "उदय योजना" के अंतर्गत वर्ष 2017–18 में राज्य शासन द्वारा इन कंपनियों को दिये गये ऋण के समायोजन रूपये 4 हजार 11 करोड़ अंशपूंजी तथा रूपये 611 करोड़ अनुदान के रूप में प्रदान करना प्रस्तावित है। इस हेतु आवश्यक बजट प्रावधान किये गये हैं।

58. कृषि उपभोक्ताओं को निःशुल्क अथवा सस्ती दरों पर बिजली प्रदाय के लिये विद्युत वितरण कंपनियों को शासन द्वारा देय सब्सिडी मद में रूपये 8 हजार 736 करोड़ का प्रावधान है। दिनांक 1 अक्टूबर, 2016 की स्थिति में प्रदेश में लगभग 5 लाख अस्थाई विद्युत कनेक्शन थे। इनको स्थाई कनेक्शन में परिवर्तित करने के लिये लगभग रूपये 4 हजार करोड़ की एक परियोजना का कियान्वयन प्रारंभ किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 मे अस्थाई पम्प कनेक्शनों को स्थाई कनेक्शन में परिवर्तित किया जा रहा है तथा वर्ष 2017–18 में रूपये 850 करोड़ अंशपूंजी का प्रावधान है।

नगरीय अधोसंरचना

59. स्मार्ट सिटी योजना के प्रथम चरण अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भोपाल, इन्दौर एवं जबलपुर शहरों के चयन के पश्चात् ग्वालियर एवं उज्जैन शहर को भी इस योजना में सम्मिलित किया गया है। सागर तथा सतना शहरों के नाम योजना के द्वितीय चरण अंतर्गत प्रेषित किये गये हैं। इस योजना अंतर्गत रूपये 700 करोड़ का बजट प्रावधान है। इसके अतिरिक्त "मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास कार्यक्रम" के लिये रूपये 120 करोड़ का प्रावधान है। भोपाल एवं इन्दौर के मेट्रो रेल परियोजना के लिये डी.पी.आर. तैयार की जाकर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा चुकी है एवं जबलपुर तथा ग्वालियर में मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिये फीजीबिलिटी रिपोर्ट कराये जाने हेतु निविदा प्रकिया प्रचलन में है।

उद्योग एवं रोजगार

60. उद्योगों से संबंधित नियमों तथा प्रक्रियाओं में सतत सुधार के कारण मध्य प्रदेश राज्य को 'ईज ऑफ डूईंग बिजनेस' के लिये भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से किये गये आक्कलन में पांचवां स्थान प्राप्त हुआ है।

61. राज्य शासन द्वारा अक्टूबर 2016 में इन्दौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2016 का सफल आयोजन किया गया। आयोजन में 5 हजार से अधिक बिजनेस डेलीगेट्स द्वारा भाग लिया गया, जिनमें 42 देशों के 300 से अधिक विदेशी प्रतिनिधि भी शामिल थे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2016 के दौरान राशि रूपये 5 लाख 62 हजार करोड़ के 2 हजार 630 निवेश आशय के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

62. उद्योगों की स्थापना हेतु उपयुक्त विकसित भूखण्ड उपलब्ध कराने के लिये वित्तीय वर्ष 2016–17 में सात औद्योगिक प्रक्षेत्रों अंतर्गत 576 हेक्टर क्षेत्र में औद्योगिक अधोसंराचना विकसित की गई है तथा 308 हेक्टर भूमि उद्योगों को आवंटित की गई है। आगामी वर्ष में 9 नवीन औद्योगिक प्रक्षेत्रों के अंतर्गत लगभग 2 हजार 625 हेक्टर भूमि पर अधोसंरचना विकसित करना प्रस्तावित है। इसके लिये कमशः रूपये 100 करोड़ तथा रूपये 61 करोड़ का बजट प्रावधान है। निवेश प्रोत्साहन हेतु भारी उद्योगों के लिये रूपये 663 करोड़ तथा लघु तथा मध्यम उद्योगों के लिये रूपये 158 करोड़ का बजट प्रावधान है।

63. प्रदेश के चार मुख्य शहरों में लगभग 450 एकड़ भूमि पर आई.टी. पार्क एवं इलेक्ट्रानिक मेन्युफेक्चरिंग क्लस्टर विकसित किये जा रहे हैं, जिनमें 200 इकाईयों को रियायती दर पर उद्योग स्थापित करने हेतु भूमि आवंटित की जा रही है। इन इकाईयों के माध्यम से लगभग 10 हजार स्थानीय निवासियों को रोजगार प्राप्त होगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के बजट अंतर्गत "आई.टी. पार्क एवं इलेक्ट्रानिक मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना एवं संचालन" हेतु रूपये 58 करोड़ का प्रावधान है।

64. राज्य डाटा सेन्टर के विस्तार के लिये रूपयें 25 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इस सेन्टर के विस्तार से राज्य के सभी विभागों की ई–गवर्नेन्स परियोजनाओं के लिये एक सुरक्षित अधोसंरचना उपलब्ध होगी एवं शासकीय डाटा सुरक्षित रहेगा।

पर्यटन

65. खण्डवा जिले में इंदिरा सागर जलाशय पर ''जल महोत्सव'' के आयोजन के दूसरे वर्ष में लगभग 5 लाख सैलानियों के द्वारा जलक्रीड़ा का आनंद उठाया गया। इंदिरा सागर तथा ओंकारेश्वर जलाशय क्षेत्र में स्थित विभिन्न द्वीप समूहों को जलक्रीड़ा केन्द्र हेतु विकसित करने के लिये एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। इन द्वीप समूहों को ''मध्य द्वीप'' नाम दिया गया है। ''मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्य प्राणी अनुभव) नियम, 2016'' अन्तर्गत वनक्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों के आयोजन हेतु 49 क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया है।

66. पर्यटन क्षेत्र में सभी हितबद्ध पक्षों को साथ लेकर पर्यटन विकास की योजनाएं तैयार करने तथा उनके क्रियान्वयन हेतु ''मध्य प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड'' का गठन करने का निर्णय लिया गया है। पर्यटन गतिविधियों के लिये उच्च स्तर के व्यवसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश इन्स्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, ट्रेवल एण्ड टूरिज्म स्टडीज प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। पर्यटन विकास हेतु रूपये 256 करोड़ का बजट प्रावधान है।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना

67. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना राज्य शासन की अत्यंत लोकप्रिय योजनाओं में से एक है। इसके अन्तर्गत अभी तक लगभग साढ़े चार लाख अधिक यात्रियों को लाभ दिया जा चुका है। इस वर्ष इस योजना के अन्तर्गत प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों : गंगासागर, कामाख्या देवी, गिरनार जी, पटना साहिब तथा मध्यप्रदेश के तीर्थ स्थानों – उज्जैन, मैहर, श्री रामराजा मंदिर ओरछा, चित्रकूट, ओंकारेश्वर तथा महेश्वर को भी जोड़ा जायेगा। कैलाश–मानसरोवर यात्रा हेतु अनुदान राशि अधिकतम रूपये 30 हजार से बढ़ाकर रूपये 50 हजार की गई है।

संस्कृति

68. सिंहस्थ 2016 के निर्विघ्न आयोजन के साथ ही मानव समाज के समक्ष विद्यमान ज्वलंत विषयों पर चिन्तन के लिये ''वैचारिक महाकुंभ'' का भी सफल आयोजन किया

गया। देश का वर्तमान सांस्कृतिक स्वरूप आदिगुरू शंकराचार्य जी की देन है। उनके सम्मान में ओंकारेश्वर में वेदान्त पीठ की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु रूपये 10 करोड़ का बजट प्रावधान है।

69. प्रदेश के शहीद सैनिकों के बलिदान को स्मरण करने के लिये बनाये गये ''शौर्य स्मारक'' का माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लोकार्पण किया जा चुका है। यह स्मारक नवयुवकों को देश की रक्षा के लिये बलिदान करने की प्रेरणा स्थली बन चुका है। देश के असंख्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग व बलिदान को स्मरण करने के लिये ''वीर भारत न्यास'' की स्थापना हेतु रूपये 9 करोड़ का बजट प्रावधान है।

गरीब कल्याण

70. पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मशती वर्ष 2017 को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का सरकार का संकल्प है। नगरीय क्षेत्र के अति गरीबों को सस्ते दर पर भोजन उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश के चुने हुए नगरों में ''दीनदयाल रसोई योजना'' लागू करने का निर्णय मेरी सरकार ने लिया है। इसके लिये अधोसंरचना निर्माण हेतु रूपये 10 करोड़ का बजट प्रावधान है। योजना का वित्त पोषण मुख्य रूप से कंपनियों के कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के निर्वहन हेतु उनसे प्राप्त होने वाले अंशदान से किया जाएगा।

सबके लिये आवास

71. हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का सपना है कि आजादी की 75 वीं वर्षगांठ तक देश में सभी झुग्गियों की जगह पक्के घर बनाये जायें। इस सपने को मध्य प्रदेश में पूरा करना राज्य सरकार का संकल्प है। इस हेतु आवास अथवा भूखण्ड की गारंटी देने के लिये इसी सत्र में विधेयक भी लाया जायेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत–ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष 2017–18 में 6 लाख 33 हजार आवास बनाने का लक्ष्य है। इस हेतु वर्ष 2017–18 में रूपये 3 हजार 500 करोड़ का प्रावधान है। प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत प्रदेश के समस्त 379 नगरीय निकायों को सम्मिलित कर लिया गया है। प्रथम चरण में 5 लाख आवासीय इकाईयों का निर्माण 2018 तक करने का लक्ष्य है एवं योजना अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों हेतु रूपये 1 हजार करोड़ का बजट प्रावधान है।

रोजगार व आजीविका

72. नवाचार के लिये नवयुवकों को प्रोत्साहित करने हेतु "मध्यप्रदेश इंक्युबेशन और स्टार्टअप नीति–2016" लागू की गई है। स्वरोजगार के लिये युवकों को सहायता देने हेतु विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान रूपये 797 करोड़ है।

73. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के 24 जिलों में वर्ष 2016–17 तक 19 लाख परिवारों को स्वसहायता समूह से जोड़ते हुये उनकी आजीविका को सुदृढ़ किया गया है। वर्ष 2017–18 में लगभग 5 लाख गरीब परिवारों को लाभांवित रखने का लक्ष्य है। इस हेतु रूपये 633 करोड़ का प्रावधान है। "राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन" के लिये रूपये 105 करोड़ का प्रावधान है।

ग्रामीण विकास

74. पंचायतों में अधोसंरचना विकास के लिये अधिकाधिक राशि उपलब्ध कराई जाने के हमारे प्रयास निरंतर है। वर्ष 2017–18 के दौरान ग्राम पंचायतों को मूलभूत कार्यों के लिये रूपये 1 हजार 127 करोड़ का प्रावधान है। वर्ष 2017–18 से पंचायतों के लिये चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार रूपये 2 हजार 642 करोड़ का प्रावधान है।

75. "महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना" अंतर्गत सुदूर सड़क निर्माण, कपिलधारा कूप निर्माण, खेत तालाब, वृक्षारोपण आदि के कार्य कराये जाते हैं। वर्ष 2017–18 के लिये 20 करोड़ मानव दिवस का लक्ष्य निर्धारित है। नवम्बर, 2016 से हितग्राही की मजदूरी की राशि सीधे उसके खाते में जमा की जा रही है। सामग्री हेतु रूपये 2 हजार करोड़ का प्रावधान है।

सामाजिक न्याय

76. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन की राशि रूपये 150 से बढ़ाकर रूपये 300 की गई है। समाज में विधवाओं की कमजोर स्थिति देखते हुये शासन ने यह निर्णय लिया है कि सेवारत और पेंशन पाने वालों को छोड़कर सभी विधवाओं को पेंशन दिया जाएगा। इसके लिये बजट में राशि रूपये 1 हजार 501 करोड़ का प्रावधान है।

महिला सशक्तिकरण

77. मध्यप्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी "लाड़ली लक्ष्मी योजना" अंतर्गत लगभग 25 लाख बालिकाओं को योजना का लाभ दिया गया है। लाड़ली लक्ष्मी योजनान्तर्गत पहली बार लगभग 18 हजार से अधिक छात्राओं को छठवीं में प्रवेश लेने पर रूपये 2 हजार प्रति बालिका के मान से वित्तीय लाभ दिया गया है। वर्ष 2017–18 में लाड़ली लक्ष्मी योजना हेतु रूपये 972 करोड़ का प्रावधान है।

78. "तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम" प्रदेश के छः जिलों में ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 16 हजार स्व–सहायता समूह का गठन कर लगभग दो लाख महिला सदस्यों को अत्याधुनिक पद्धति से कृषि, सब्जी एवं बकरी पालन आदि गतिविधियों में आर्थिक लाभ प्रदान कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाया गया है। इसका विस्तार आठ अन्य जिलों में करना प्रस्तावित है। इसके लिये रूपये 630 करोड़ की विदेशी सहायता प्राप्त करने का प्रयास है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण

79. पिछड़े वर्ग के शैक्षणिक उत्थान के लिये छात्रवृत्तियॉ मद में रूपये 850 करोड़ तथा छात्रावास निर्माण मद में रूपये 19 करोड़ के बजट प्रावधान हैं। इस वर्ग के युवकों को मुख्यमंत्री स्वरोजगार आर्थिक कल्याण योजना में रूपये 25 करोड़ का बजट प्रावधान है।

80. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शब्दों में "राजनीतिक और सामाजिक न्याय के लिये जरूरी है कि सभी को समान अवसर मिले और अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास की सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता प्राप्त हो, जिसमें सभी जाति अथवा धर्मो के लोगों की भागीदारी हो।" राज्य सरकार ने इस मार्ग पर चलते हुये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये पृथक उपयोजना प्रस्तुत की है, जिस पर क्रमशः रूपये 16 हजार 381 करोड़ और रूपये 25 हजार 862 करोड़ का प्रावधान है।

अल्पसंख्यक कल्याण

81. अल्पसंख्यक वर्ग के शैक्षणिक विकास हेतु मदरसों के आधुनिकीकरण हेतु रूपये 30 करोड़, अन्य सहायता अंतर्गत रूपये 4 करोड़ तथा रोजगार प्रशिक्षण के लिये रूपये 4 करोड़ का प्रावधान है। अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में विकास कार्यक्रम हेतु रूपये 6 करोड़ का प्रावधान है।

सामान्य निर्धन वर्ग

82. हमारी सरकार सामान्य निर्धन वर्ग के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिये निरन्तर प्रयासरत है। सामान्य निर्धन वर्ग के विद्यार्थियों के लिये विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं लागू की गई हैं। इन योजनाओं में 3 लाख 26 हजार 107 हितग्राही लाभांवित हुए हैं।

83. समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत शासकीय शालाओं में अध्ययनरत सामान्य निर्धन वर्ग के विद्यार्थियों के लिये वार्षिक आय सीमा रूपये 54 हजार को बढ़ाकर रूपये एक लाख किया गया है।

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध–घुमक्कड़ जाति कल्याण

84. विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध–घुमक्कड़ जातियों के प्रतिनिधियों का हाल ही में देवास में राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित कर इस वर्ग से जीवंत सम्पर्क आयोजित किया गया है। इस वर्ग के कल्याण के लिये विभिन्न योजनाओं अंतर्गत वर्ष 2017–18 के लिये रूपये . 48 करोड़ का प्रावधान है।

कानून व्यवस्था

85. नक्सल हिंसा प्रभावित बालाघाट जिले के लिये नवीन छत्तीसवीं बटालियन का गठन किया गया है। डायल 100 की व्यवस्था के कारण सूचना मिलते ही पुलिस तेजी से घटनास्थल पर पहुंच रही है। सी.सी.टी.व्ही. कैमरों से संवेदनशील सार्वजनिक स्थानों की प्रभावी निगरानी की जा रही है। सी.सी.टी.एन. के क्रियाशील होने से पुलिस थानों के काम–काज पर वरिष्ठ अधिकारियों की निगाह अब पैनी हो गई है। इन सुविधाओं के उपलब्ध होने से पुलिस बल अधिक गतिमान हुआ है, उनकी उपस्थिति अधिक व्यापक हुई

है तथा उन पर निगरानी अधिक प्रभावी हुई है। इसका लाभ हमें बेहतर कानून व्यवस्था के रूप में मिलने की आशा है। पुलिस बल के लिये कुल बजट प्रावधान रूपये 5 हजार 850 करोड़ है जिसमें से रूपये 404 करोड़ वृहद निर्माण कार्यों के लिये, रूपये 16 करोड़ लघु निर्माण कार्यो के लिये तथा रूपये 35 करोड़ भवन अनुरक्षण के लिये हैं। वाहन क्रय हेतु रूपये 54 करोड़ तथा शस्त्र एवं गोलाबारूद हेतु रूपये 44 करोड़ का प्रावधान है।

न्याय प्रशासन

86. न्यायालयीन व्यवस्था को पक्षकारों के लिये सुगम एवं पारदर्शी बनाने हेतु उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों एवं महाधिवक्ता कार्यालय के कामकाज का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। इस हेतु रूपये 21 करोड़ का प्रावधान है। न्याय प्रशासन हेतु आवश्यक अधो संरचना के निर्माण के लिये रूपये 150 करोड़ का प्रावधान है।

जेल प्रशासन

87. जेलों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिये राज्य शासन द्वारा एक कार्य योजना बनाकर कार्यवाही प्रारंभ की गई है। इन्दौर में निर्माणाधीन नये जेल परिसर के लिये वित्तीय संसाधन बजट से उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। जिला बुरहानपुर में नवीन जेल की स्थापना प्रस्तावित है। जेल प्रशासन के लिये कुल रूपये 297 करोड़ का बजट प्रावधान है, जिसमें से रूपये 65 करोड़ पूंजीगत मद में है।

सुशासन

88. लोक सेवा गारंटी योजना कानून अंतर्गत वर्ष 2016–17 में 46 नई सेवाओं को अधिसूचित किया गया, जिसमें से 35 नई सेवाएं नागरिकों को ऑन लाईन प्रदान की जा रही हैं। इस प्रकार अब तक इस कानून में जवाबदेही तय करने एवं सेवाओं को त्वरित प्रदाय करने के लिये कुल 260 सेवाओं को जोड़ा गया है। इसमें से कुल 142 सेवाएं ऑन लाईन प्रदाय हो रही हैं। विभाग हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में रूपये 99 करोड़ का बजट प्रावधान है, जिसमें से अधोसंरचना निर्माण हेतु रूपये 15 करोड़ हैं।

कर्मचारी कल्याण

89. राज्य सरकार का यह ध्येय है कि नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिले और इस हेतु सेवा प्रदायकों अर्थात शासकीय सेवकों में संतोष और आनंद जरूरी है। अतः सातवें वेतनमान का लाभ प्रदेश के शासकीय सेवकों को दिनांक 1 जनवरी, 2016 से दिया जाकर इसका नगद भुगतान जुलाई, 2017 के वेतन से किया जाएगा।

पुनरीक्षित अनुमान 2016–17

90. पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां रूपये 1 लाख 26 हजार 50 करोड़ तथा राजस्व व्यय रूपये 1 लाख 24 हजार 516 करोड़ है। आयोजनेतर व्यय का पुनरीक्षित अनुमान रूपये 80 हजार 649 करोड़ तथा आयोजना व्यय का पुनरीक्षित अनुमान रूपये 75 हजार 981 करोड़ है। राजकोषीय घाटे का पुनरीक्षित अनुमान रूपये 29 हजार 899 करोड़ है, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.63 प्रतिशत है।

बजट अनुमान 2017–18

राजस्व प्राप्तियां

91. वर्ष 2017–18 में कुल राजस्व प्राप्तियों का बजट अनुमान रूपये 1 लाख 39 हजार 116 करोड़ है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य करों से प्राप्तियां रूपये 50 हजार 295 करोड़ तथा केन्द्रीय करों में प्रदेश के हिस्से के अंतर्गत प्राप्तियां रूपये 51 हजार 106 करोड़ है। कर भिन्न राजस्व प्राप्तियां रूपये 11 हजार 680 करोड़ तथा केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान अंतर्गत प्राप्तियां रूपये 26 हजार 34 करोड़ अनुमानित है।

कुल व्यय

92. वर्ष 2017–18 के लिये कुल विनियोग की राशि रूपये 1 लाख 85 हजार 564 करोड़, राजस्व मद अंतर्गत रूपये 1 लाख 34 हजार 519 करोड़ तथा पूंजीगत मद अंतर्गत रूपये 35 हजार 435 करोड़ प्रस्तावित है। सामाजिक आर्थिक उत्थान की योजनाओं के लिये वर्ष 2017–18 के लिये समग्र रूप से बजट प्रावधान रूपये 1 लाख 4 हजार 358 करोड़ है। इसमें से अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण के लिये बजट प्रावधान रूपये 25

हजार 862 करोड तथा अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिये बजट प्रावधान रूपये 16 हजार 381 करोड़ है। कृषि बजट में सम्मिलित योजनाओं के लिये समग्र रूप से रूपये 33 हजार 564 करोड़ का बजट प्रावधान है।

शुद्ध लेन–देन

93. वर्ष 2017–18 की कुल प्राप्तियां रूपये 1 लाख 69 हजार 503 करोड़ तथा शुद्ध व्यय रूपये 1 लाख 69 हजार 954 करोड़ अनुमानित होने से वर्ष का शुद्ध लेन–देन ऋणात्मक रूपये 451 करोड़ का अनुमान है।

राजकोषीय स्थिति

94. वर्ष 2017–18 में राजस्व आधिक्य अनुमानित है। वर्ष 2017–18 के लिये राजकोषीय घाटे का अनुमान रूपये 25 हजार 689 करोड़ है। यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.49 प्रतिशत अनुमानित है।

पंख ही काफी नहीं हैं आसमानों के लिए

हौसला हम–सा चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए

रोक रक्खी थी नदी की धार तुमने ही कहीं

लेके आए हम ही कुदाली उन मुहानों के लिए

(मेजों की थपथपाहट)

भाग–दो

माननीय अध्यक्ष महोदय,

शासकीय संस्थाओं के आधिपत्य में स्थित बहुमूल्य अप्रयुक्त या अल्पप्रयुक्त भूमि का चिन्हांकन किया जाएगा जिसका बेहतर उपयोग राज्य के संसाधनों को बढ़ाकर विकास लक्ष्य पूरा करने में किया जाएगा। इन भूमियों का आधिपत्य वर्तमान में जिन शासकीय संस्थाओं के पास है, उनके लिये अन्यत्र भूमि तथा भवन की व्यवस्था की जाएगी। ऐसी भूमियों का अधिक दक्ष इस्तेमाल करने के लिये भूमि उपयोग का पुनर्चक्रण करने से नवीन वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे। इस बारे में प्रकरणवार निर्णय लेने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी।

2. प्रदेश में व्यपवर्तित क्षेत्र का तेजी से विस्तार हुआ है। कृषि भूमि के एक बड़े भाग का परिवर्तन प्रतिवर्ष गैर कृषि प्रयोजन के लिये हो रहा है। ऐसी भूमि पर लगान कृषि भूमि पर देय लगान की तुलना में अधिक होती है। यह कर राजस्व का एक ऐसा स्त्रोत है जिस पर आधुनिक ई–गवर्नेंस का इस्तेमाल करके संग्रहण दक्षताएं बढ़ाई जा सकती हैं। इस स्त्रोत का समुचित विदोहन करने के लिये विशेष प्रयास किया जाएगा।

3. देश की सीमा की रक्षा करने में सैनिकों का महत्वपूर्ण स्थान है। पूर्व वर्ष के बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुक्रम में बीएसएफ में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों/जवानों के लिए कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट को बेचे जाने वाले कैंटीन स्टोर्स पर रियायती कर की दर 4 प्रतिशत् के अंतर्गत शामिल किया गया था। इसे आगे बढ़ाते हुए केन्द्रीय औद्यौगिक सुरक्षा बल (CISF), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल (ITBP), असम रायफल्स (AR), सीमा सुरक्षा बल (SSB), मे कार्यरत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं जवानों को भी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

4. केशलेस व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए पीओएस मशीन को कर मुक्त किया गया है एवं उसके मर्चेन्ट एग्रीमेंटों को भी स्टांप इयूटी से मुक्त किया गया।

5. भारी माल वाहक यान पर जिनका कुल वजन 12,000 किलोग्राम से अधिक हो, वेट की दर 14 प्रतिशत के स्थान पर 12 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। वैट की दर में कमी करने से मध्यप्रदेश में इन वाहनों की बिक्री बढ़ेगी, जिससे राजस्व वृद्धि संभावित है ।

6. हवाई यात्रा में रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर एवं खजुराहो को छोड़कर मध्यप्रदेश के अन्य हवाई अड्डों या हवाई पट्टियों पर विक्रय होने वाले ए.टी.एफ. पर वैट की दर 4 प्रतिशत से कम करते हुए 1 प्रतिशत रखा जाना प्रस्तावित है। जिससे प्रदेश के अन्य स्थानों पर हवाई सेवा को बढ़ावा मिल सकेगा ।

7. ग्वालियर, जबलपुर एवं खजुराहो हवाई अड्डों पर विक्रय होने वाले ए.टी.एफ. पर वैट की दर 4 प्रतिशत रखा जाना प्रस्तावित है।

8. इन्दौर एवं भोपाल हवाई अड्डों में विक्रय होने वाले ए.टी.एफ. पर वैट की दर 4 प्रतिशत से बढाकर 25 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है ।

9. ए.टी.एफ. पर वैट की दरों में संशोधन से लगभग 70 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व संभावित है।

10. दिव्यांगों को विहित प्राधिकारी के प्रमाणीकरण के आधार पर विक्रय किए जाने वाले स्कूटर पर वेट दर 5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

11. केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, प्रवेशकर अधिनियम एवं मध्यप्रदेश विलासिता, आमोद एवं विज्ञापन पर कर अधिनियम में रियायती कर दर एवं कर से छूट आगे जीएसटी लागू होने तक जारी रखा जाना प्रस्तावित है।

12. राज्य सरकार द्वारा आबकारी नीति वर्ष 2017-18 हेतु मद्य सेवन पर नियंत्रण हेतु मद्य संयम के लिये नीति बनाई गयी है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में वर्ष 2011 से कोई भी नवीन मदिरा दुकान नहीं खोली गई है। नर्मदा नदी की पवित्रता बनाये रखने के उद्देश्य से नर्मदा नदी के 05 किलोमीटर की सीमा में आने वाली 66 दुकाने 01.04.2017 से बंद की जायेगी। इसी प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग पर स्थापित 1427 मदिरा दुकानों को मार्ग से 500 मीटर की दूरी पर स्थापित किया जायेगा। व्यसन मुक्ति के लिए सेमिनार्स आयोजित किये जाएंगे एवं स्कूल, कालेज के पाठ्यक्रम में नशा/मादक पदार्थों के सेवन से हानि के संबंध में जागरूक करने हेतु व्यवस्था की जायेगी। इस संबंध में विशेष्ज्ञों के व्याख्यान आयोजित किये जायेंगे। ऐसे ग्राम जो नशा मुक्त होंगे के लिए रिवार्ड स्कीम चलायी जायेगी। हर जिला अस्पताल में एक ट्रीटमेंट/डि-एडिक्शन सेंटर स्थापित किया जायेगा। मदिरा के सेवन से होने वाले नुकसानों पर सूचना, रोचक कथाएं आदि देने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए एक फेसबुक पेज, एक ट्विटर हैंडल और एक डेडिकेटेड ब्लाग स्थापित करने के लिए विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

13. पंजीयन विभाग दिनांक 01 अगस्त, 2015 से पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है तथा विभाग की सभी गतिविधियां "सम्पदा पोर्टल" के तहत ऑनलाइन की जाती है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनवरी माह तक 5,06,473 दस्तावेज ऑनलाइन पंजीबद्ध किये गये है तथा रू.194 करोड की कीमत के लगभग 25 लाख ई-स्टाम्प सम्पदा पोर्टल के माध्यम से निकाले गये हैं । मध्यप्रदेश का पंजीयन विभाग पूरे देश में प्रति हजार जनसंख्या के आधार पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रानिक संव्यवहार करने वाला प्रदेश बन गया है ।

14. आगामी वर्ष में ई-भूअभिलेख का ई-रजिस्ट्री से एकीकरण किया जायेगा जिससे ई-दस्तावेज का पंजीयन होते ही नामांतरण की प्रक्रिया स्वयमेव प्रारंभ हो जायेगी तथा पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने वाले दस्तावेजों में राजस्व रिकार्ड की अद्यतन स्थिति प्राप्त होने से कर अपवंचन की संभावना समाप्त हो जायेगी। आमजन को नामांतरण हेतु पृथक से राजस्व न्यायालय में चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे।

15. ई-पंजीयन में दस्तावेजकर्ताओं की पहचान के लिये - "आधार नंबर" को अनिवार्य किया जायेगा जिससे आमजन को अधिक सुविधा प्राप्त होगी तथा अनावश्यक धोखाधड़ी की प्रवृत्ति पर पूर्णतः अंकुश लग जायेगा। ईस्टांपिंग और ई-पंजीयन को पूर्णतः कैशलेस किया जायेगा।

16. उप पंजीयक कार्यालय में आमजन की सुविधा के लिये कतार प्रबंधन व्यवस्था लागू किया जायेगा जिससे पंजीयन कराने में कम समय लगेगा तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित होगी।

17. कंपनियों के समामेलन/विलीनीकरण के दस्तावेज पर वर्तमान में विक्रय पत्र अनुसार स्टांप शुल्क देय है। इसे अधिकतम रु. 25 करोड़ तक सीमित करने का प्रावधान किया जायेगा। रियल स्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिये विकास के अधिकार के अंतरण की लिखत का पंजीयन संपूर्ण प्रस्तावित भूमि के बाजार मूल्य का 1% करने का नवीन प्रस्ताव शामिल किया जायेगा । इससे विकास निर्माण संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा ।

18. कुटुम्ब के किसी भी सदस्य के पक्ष में किसी संपत्ति के दावे का हक त्यागने हेतु वर्तमान में लागू प्रावधान जिसके तहत संपत्ति के उस शेयर, जिस पर दावे का त्याग किया गया है, के प्रतिफल या बाजार मूल्य, इनमें से जो भी अधिक हो, के हस्तांतरण पत्र पर 2.5% दर से शुल्क देय होता था जिसे घटाकर 0.5% किया जायेगा ताकि इस प्रकार के प्रकरणों में आमजनता को सुविधा हो सके। क्षतिपूर्ति बंधपत्रों में वर्तमान में बंधपत्र के समान

0.5% की दर से शुल्क प्रभार्य है जिसे घटाकर एक निश्चित राशि 1000 रूपये प्रति बंधपत्र किया जायेगा ।

19. इस प्रकार प्रदेश के राजस्व व संसाधनों को बढ़ाकर प्रदेश का आदर्श विकास सुनिश्चित करने हम कृतसंकल्पित है।

20. प्रदेश की विकास यात्रा में यह हमारे मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि प्रदेश न केवल बीमारू राज्यों की श्रेणी से बाहर आए बल्कि साथ ही प्रदेश की जनता की जीवनशैली में व्यापक सुधार हो और आनंद की अभिभूति के साथ प्रदेश के नागरिक नित्य नये मुकाम हासिल करें, नित्य नई ऊंचाईयां प्राप्त करें और प्रदेश को विकसित होने की राह में अग्रसर करें–

सुबह का हर उजाला हमारे साथ हो,

हर दिन हर पल सबके लिये खास हो।

दिल से दुआ (प्रार्थना) निकले बस यही कि,

इस जहां की सारी खुशियां प्रदेश की जनता के पास हों।

''जय हिन्द, जय मध्य प्रदेश''

(मेजों की थपथपाहट)

12.10 बजे

अध्यक्षीय घोषणा

(1) वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

अध्यक्ष महोदय - मैं, गुरूवार दिनांक 2 एवं शुक्रवार 3 मार्च, 2017 आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के लिये नियत करता हूँ. आय-व्ययक में सम्मिलित मांगों पर प्रस्तुत किए जाने वाले कटौती प्रस्तावों की सूचनाएं निर्धारित प्रपत्र में आज दिनांक 1 मार्च, 2017 को सायंकाल 5 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती हैं.

(2) परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी का उद्बोधन कार्यक्रम

अध्यक्ष महोदय - माननीय सदस्यों के लिये आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी का उद्बोधन कार्यक्रम आज बुधवार, दिनांक 1 मार्च, 2017 को अपरान्ह 1.00 बजे मध्यप्रदेश विधान सभा भवन स्थित मानसरोवर सभागार में आयोजित किया गया है.

उक्त कार्यक्रम में माननीय सदस्य उपस्थित होकर लाभ लेने का कष्ट करें.

विधानसभा की कार्यवाही गुरूवार दिनांक 2 मार्च, 2017 को प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित.

मध्याह्न 12.11 बजे विधानसभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 2 मार्च, 2017 (11 फाल्गुन, शक संवत् 1938) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई.

भोपाल : **अवधेश प्रताप सिंह**

दिनांक- 1 मार्च, 2017 प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश विधान सभा